1.	योजना का नाम	निष्क्रमणीय पशुपालक के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	परम्परागत व्यवसाय के आजीविका के साधनों के अनुसार पिछड़े वर्गों/जातियों के नाम, जिनका काम मवेशी पालन तथा ऊँट व भेड़ आदि पालना, दूध बेचना व उन का विक्रय करना है, में रेबारी प्रमुख हैं। इनको पशुपालक के नाम से जाना जाता है। ये जातियां मवेशी सहित अपने निवास स्थान से निष्क्रमण करती हैं। ऐसे पशुपालक के बच्चों हेतु कक्षा 6 से कक्षा 12 तक शिक्षण एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाली, जिला जालौर में आवासीय विद्यालय खोला गया है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	निष्क्रमणीय पशुपालकों के प्रतिभाशाली बच्चे
5.	पात्रता	1. केवल राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक (राईका, रेबारी एवं देवासी जाति) जिनके पास भेड़ों/बकरियों की संख्या 100 या अधिक हो, के परिवारों के छात्र ही आवेदन करने के पात्र हैं। 2. बिन्दु संख्या एक में वर्णित परिवारों को उस गांव के पटवारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर उस जिले के जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जावेगा। 3. प्रवेश से पूर्व की कक्षा राजकीय विद्यालय/ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो। 4. कक्षा 6 में प्रवेश हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

6.	देय सुविधाएं	• भोजन, नाश्ता एवं विशेष भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था • नि:शुल्क आवास व्यवस्था • आवासीय परिसर में ही शिक्षण सुविधा • बिजली, पानी की उचित व्यवस्था • तेल, साबुन, बाल कटाई आदि की सुविधा • गद्दे, कम्बल, चादर, तौलिया, खोली आदि की व्यवस्था एवं धुलाई • स्कूल यूनिफार्म आदि • समाचार पत्र-पत्रिका, टी.वी. एवं खेलकूद की व्यवस्था
7.	आवेदन का तरीका	• अभ्यार्थी निर्धारित प्रारूप में टंकित/ साईक्लोस्टाइल करवाकर आवेदन कर सकते हैं। • प्रत्येक आवेदक एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा। • आवेदन पत्र के लिफाफे के दायें कोने पर पशुपालकों के बालकों के लिए आवेदन पत्र आवश्यक रूप से लिखें।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय, हरियाली, जिला जालौर
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका • सक्षम अधिकारी से प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र • राजस्थान में रहने का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10.	सम्पर्क सूत्र	राजस्थान रेजिडेन्शीयल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित), राजस्थान, जयपुर।